कार्यालय झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

पत्रांक 422/जे.डी.ए.– संशोधित मानचित्र–(2017–2018) दिनांकः 27 मार्च, 2018

सेवा में,

प्रबन्धक
मार्डन महाविद्यालय
544, ग्राम एवं पोस्ट–कोछाभावर,
झाँसी (उ0प्र0)

आपके पत्र दिनांक 05.03.2018 में अनुमोदित शैक्षणिक भवन मानचित्र संख्या 346 दिनांक 15/04/2017 के संदर्भ में भूखण्ड संख्या 544 ग्राम एवं पोस्ट–कोछाभांवर, झाँसी (उ0प्र0) के शैक्षणिक भवन मानचित्र का नाम परिवर्तित करके मार्डन कालेज ऑफ इंजीनियरिंग भूखण्ड सं0 544, ग्राम एवं पोस्ट–कोछाभावर, झाँसी (उ0प्र0) निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है। उपरोक्त स्वीकृति उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैद्य है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिये निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जाएगा। विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत यदि भविष्य सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपर्युक्त नहीं होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. स्वीकृति मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृति के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप–नियमों के नियम 21 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य करने की सूचना देंगे।
8. मानचित्र की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है:–
   - संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गयी अनापत्ति प्रमाण पत्र में लिखित शर्तों को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
   - समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत किये गये आदेशों तथा निर्धारित की गयी नीतियों का पालन करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
9. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृति करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकारण सुरक्षित रखता है।
10. मानचित्र की स्वीकृत अनुबंध में उल्लिखित शर्तों के अधीन है।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नक :– स्वीकृति मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपि :– अवर अभियंता.......................................को प्रेषित।

27/03/18
सचिव
झाँसी विकास प्राधिकरण
सचिव
झाँसी विकास प्राधिकरण,